



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 12.11.2023

थाना बडौत पुलिस व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 15-15 हजार रुपये के ईनामिया 02 शातिर गौकशों को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस व एक चोरी की हुई मो0सा0 हीरो होन्डा पैशन प्रो बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ 15-15 हजार रुपये के ईनामिया 02 शातिर गौकशों को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस व एक चोरी की हुई मो0सा0 हीरो होन्डा पैशन प्रो बरामद हुई है । पुलिस मुठभेड़ में दोनों घायल अभियुक्तों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल बागपत भेजा गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियुक्तगण थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 817/23 धारा 307/504/506 भादवि, 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट में वाँछित थे, जिनकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15-15 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया हुआ था ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-काला उर्फ शाकिर पुत्र फरमान निवासी ग्राम गौरीपुर निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत (घायल)

2-महताब पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम नगला भनवाड़ा थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर ।

हाल निवासी ग्राम गौरीपुर निवाड़ा थाना बागपत जनपद बागपत (घायल)

गिरफ्तार अभियुक्त साकिर उर्फ काला का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 390/23 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना बागपत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 443/23 धारा 307/120बी भादवि 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना बागपत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 817/23 धारा 307/504/506 भादवि 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/4/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 821/23 धारा 307/411 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त महताब का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 390/23 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 443/23 धारा 307/120बी भादवि 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 817/23 धारा 307/504/506 भादवि 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/4/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 821/23 धारा 307/411 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त 2 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस।
- दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो होन्डा पैंशन प्रो बिना नम्बर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक देवेश कुमार सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- प्रभारी निरीक्षक रवेन्द्र कुमार पलावत SOG मय टीम जनपद बागपत ।
- 3- व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह बडौत जनपद बागपत ।
- 5- उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह गौतम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6- का0 949 विकास तालान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7- का0 493 विवेक सिरोही थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8- का0 525 महेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 12.11.2023

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने चकबन्दी देवता मंदिर मेले में अपने परिजनों से पृथक हुये 02 बच्चे उम्र करीब 3-4 वर्ष को उनके परिजनों को किया सुपुर्द ।

कार्यवाही-

चकबन्दी देवता मन्दिर मेले में ड्यूरीरत पुलिसकर्मियों को 02 बच्चे उम्र करीब 3-4 वर्ष, मेले में अपने परिजनों से पृथक होकर गुम हो गये थे । पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अथक प्रयास कर मेले में दोनों बच्चों के परिजनों को तलाश किया गया तथा दोनों बच्चों को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बालैनी पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

परिजनों को तलाश करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष सुश्री साक्षी सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 351 पवन नागर थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 356 लखपत थाना बालैनी जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 12-11-2023

**थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 30 किलो ग्राम बने हुए अवैध पटाखे बरामद ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 30 किलो ग्राम बने हुए अवैध पटाखे बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रणपाल पुत्र राम किशन निवासी पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 30 किलोग्राम बने हुए अवैध पटाखे ।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा ।
- 2-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकड़ा ।
- 3-का0 1075 मनीष कुमार थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 12-11-2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 30 किलो ग्राम बने हुए अवैध पटाखे व तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल होंडा सीडी नं0 HR-13Q-9096 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 30 किलो ग्राम बने हुए अवैध पटाखे व तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 होंडा सीडी नं0 HR-13Q-9096 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

आकाश पुत्र मुकेश निवासी उत्तम नगर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 30 किलो ग्राम बने हुए अवैध पटाखे ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 होंडा सीडी नं0 HR-13Q-9096

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा ।

2-का० 911 श्यामवीर थाना खेकड़ा ।

3-का० 1021 जितेन्द्र थाना खेकड़ा ।